# आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –98 / 2021

प्यारेलाल साह

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ । |
|---|---|---|
| 18.01.2023 | यह अपीलवाद माननीय पटना उच्च न्यायालय, बिहार, में दायर CWJC No. 13564/2021 प्यारेलाल साह बनाम राज्य सरकार व अन्य, में दिनांक–02.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त न्यायादेश में निदेश है कि "The present writ petition is disposed off as not pressed, however, with liberty to the petitioner to file appropriate representation/appeal before the concerned Divisional Commissioner under Rule 32(vi) of the Bihar Targeted PDS (Control) Order, 2016 and in case such a representation/appeal is filed within a period of four weeks from today, the same shall be adjudicated, in accordance with law and disposed off by passing a speaking and a reasoned order within a period of eight weeks, thereafter."<br>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी द्वारा जन वितरण अनुज्ञप्ति वाद संख्या 26 / 2019 में दिनांक 23.01.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है ।<br>वाद का सारांश है कि आवेदक के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या 71 / 2016 है तथा वह नियमित रूप से दुकान को संचालित करते आ रहे है । दिनांक 13.10.2018 को 10:45 बजे आवेदक के जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुमण्डल | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण द्वारा जाँच की गई एवं निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी।

1. मूल्य सह भंडार प्रर्दशन पट्ट नियमानुसार अद्यतन नहीं पाया गया ।

2. भंडार पंजी तथा वितरण पंजी तिथिवार अद्यतन नहीं पाया गया।

3. प्रत्येक माह में खाद्यान्न का वितरण नहीं करना एवं एक माह का राशन देकर दो माह की प्रविष्टि करना।

4. माह अक्टूबर 2018 का उठाव किए गए खाद्यान्न का वितरण किए बिना राशन कार्ड में प्रविष्टि करना।

5. एक ही तिथि को आवेदक द्वारा अन्त्योदय खाद्यान्न योजना वितरण पंजी 2018 में माह जनवरी 2018 से सितम्बर 2018 तक खाद्यान वितरण दर्शाया गया है ।

6. गेहूँ तथा चावल की मात्रा समानुपातिक नहीं पाया गया ।

7. विक्रेता के वितरण व्यवस्था तथा खाद्यान्न का रख रखाव संतोषप्रद नहीं पाया गया।

8. जाँच से यह भी मामला उजागर हुआ की विक्रेता के द्वारा विचलन किया जाता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण के द्वारा आवेदक के स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका 25(i)क,ख,ग,घ,ड़ तथा (ii) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत प्यारेलाल साह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश ज्ञापांक 14/गो., दिनांक 10.11.2018 को पारित किया गया है । आवेदक द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण के समक्ष अपील दायर किया गया । जिला पदाधिकारी, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण के आदेश दिनांक 23.01.2021 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण के आदेश को बहाल रखा गया, जिसके विरद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

आवेदक के द्वारा दाखिल कागजात को अंग्रेतर सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालयों से अभिलेखों की मांग की गई, जिसके प्रसंग में वांछित अभिलेख समर्पित किया गया। उक्त वाद की

WEB COPY NOT OFFICIAL

सुनवाई दिनांक 18.01.2023 को की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा माह सितम्बर 2018 के खाद्यान का वितरण किया तथा माह अक्टूबर 2018 का खाद्यान स्टॉक में सुरक्षित रखा हुआ था । वितरण के समय भूलवश उपभोक्ता के राशन कार्ड पर सितम्बर 2018 के स्थान पर अक्टूबर 2018 दर्ज हो गया, जो आवेदक के द्वारा जानबूझ कर दर्ज नहीं किया गया । आवेदक हमेशा अपनी दुकान का मूल्य–सह–भण्डार प्रदर्शन पट्ट अद्यतन करता था । जाँच की तिथि को आवेदक के द्वारा प्रदर्शन पट्ट अद्यतन कर दुकान के बाहर रखा गया था। जाँच की तिथि को नवरात्रि की पूजा करने घर के अन्दर चले गये, उसी बीच कुछ शरारती बच्चों के द्वारा प्रदर्शन पट्ट के कुछ हिस्से को मिटा दिया । अनुमण्डल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण के द्वारा गलत तरीके से अपने आदेश ज्ञापांक 14, दिनांक–10.11.2018 द्वारा आवेदक की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। आवेदक के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 14, दिनांक–10. 11.2018 के विरूद्ध समाहर्त्ता, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण के समक्ष अपील वाद दायर किया गया । समाहर्त्ता, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अभिलेखों का सही तरीके से अवलोकन नहीं किया गया । अनुमण्डल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण के आदेश पर विश्वास करते हुए अपने आदेश दिनांक 23.01.2021 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण के आदेश दिनांक 10.11.2018 को बरकरार रखा । समाहर्त्ता, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण के द्वारा अपील वाद संख्या 26/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2021 विधिसम्मत नहीं है तथा विखंडित किए जाने योग्य है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता की दुकान की जाँच में कई अनियमितताएं उजागर हुई, जिसके बाद अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों का अनुपालन करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण तथ्यपरक नहीं पाते हुए विक्रेता को अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा एक और अवसर प्रदान करते हुए उनसे द्वितीय स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनके स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत मुखर आदेश ज्ञापांक–14 दिनांक– 10.11.2018 द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसके विरूद्ध रिविजनकर्ता के द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय में अपील वाद संख्या–26/2019 दायर किया गया। समाहर्त्ता, पूर्वी

WEB COPY NOT OFFICIAL

चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा भी आवेदक के अपील आवेदन में उठाये गए तथ्यों पर विचार नही करते हुए अपने आदेश दिनांक–23.01.2021 द्वारा मुखर आदेश पारित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

इस रिविजन वाद में उल्लेखनीय है कि वादी सह–जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में सभी अनिमितताओं को स्वीकार भी किया गया है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि गलती से 52 उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर माह सितम्बर 2016 के वितरित खाद्यान माह अक्टूबर 2018 में वितरित दर्ज हो गया, जो इनकी स्वीकारोक्ति को ही परिलक्षित करता है। ऐसा किसी एक–दो उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में नहीं बल्कि 52 उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के आलोक में भी '' बी0पी0एल0 राशन कार्डो में मिथ्या प्रविष्टियाँ करने वाले '' जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश है। यह गलती नहीं बल्कि जानबूझकर खाद्यान से उपभोक्ताओं को वंचित करने की नियत से किया गया कृत्य प्रमाणित होता है। इसी प्रकार मूल्य–सह–भण्डार प्रदर्शन पर अद्यतन सुचना अंकित नहीं रहना तथा भण्डार एवं वितरण पंजी तिथिवार अद्यतन नहीं रहना भी प्रमाणित है, जो बहुत ही गंभीर है। गरीब नागरिको को सरकार की कल्याणकारी योजना से वंचित करने का मामला है।

उपर्युक्त तथ्यो के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत रिविजन वाद खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस करें।

**लेखापित एवं संशोधित**

**आयुक्त** **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| | | |

WEB COPY NOT OFFICIAL